



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2761 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 11/02/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 09.02.2015 अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
4.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
6.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
7.	डॉ. एस.सी. नैथानी	—	सदस्य
8.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	—	सदस्य
9.	डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज	—	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

## बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 12.01.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 12.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा. महासमुंद	M.Sc.-Prev. Botany M.Sc. -Prev. Maths	15 15	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 10.01.2015 1. एम.एस.सी. गणित (प्रथम सेमेस्टर) में 15 छात्रों के लिये अधोसंरचना पर्याप्त है। महावि. में केवल दो शिक्षक की पदस्थापना है दो शिक्षकों की नियुक्ति और आवश्यकता होगी, पुस्तकालय में पुस्तकें अपर्याप्त है, जिसे विषयवार छात्र अनुपात से क्रय किया जाना आवश्यक है। 2. एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र में 15 छात्रों के लिये महाविद्यालय में निम्न सुविधायें हैं – (A) केवल एक कक्ष है जिसमें प्रयोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएँ लगती हैं, प्रायोगिक उपकरण अपर्याप्त	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
<p>महाविद्यालय का स्थापना वर्ष – 1964-65 शासन का आदेश पृ. क्र. एफ 3-87/2014/38-1 रायपुर दिनांक 22.08.2014 महाविद्यालय का आवेदन तिथि – 07.10.2014</p>						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					है, महाविद्यालय में केवल एक नियमित शिक्षक पदस्थ हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त है। 3. महाविद्यालय में एम.एस.सी. गणित के लिये 15 छात्रों की अनुमति है लेकिन 17 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। इसी प्रकार वनस्पति शास्त्र में 15 छात्रों की अनुमति है लेकिन 21 छात्रों को प्रवेश दिया गया है एवं रसायन शास्त्र में 25 छात्रों के लिए अनुमति है लेकिन 60 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।	
2.	नवीन शासकीय महाविद्यालय मगरलोड, जिला-धमतरी	<b>B.Sc. -III -</b> (F.C.-Hindi & English, Env. Studies, Chemistry, Botany, Zoology,) <b>B.A. -III -</b> (F.C.-Hindi & English, Env. St., Geography, Sociology, History) <b>B.Com. -III Compulsory Subject, Env.Sc.</b>	60 60 60	2014-15	<b>निरीक्षण तिथि :- 19.01.2015</b> पं. र.वि.वि. रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 1879/अका./2014 रायपुर दिनांक 17.11.2014 के परिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड जिला-धमतरी का आज दिनांक 20.01.2015 को नियुक्ति त्रिसदस्यीय समिति ने निरीक्षण किया। ग्रंथालय में पुस्तकें कम हैं। शासन से प्राप्त आबंटन से अथवा जनभागीदारी मद से यथाशीघ्र पुस्तकें क्रय की जाएं। महाविद्यालय वर्तमान में शास. प्राथमिक शाला के पाँच कमरों में संचालित है। भवन निर्माणाधीन है। बी.एस.सी. की प्रायोगिक कक्षाएँ शास. महा. कुरुद में भी संचालित होती हैं। महा. में दो नियमित (कामर्स एवं हिन्दी) एवं 8 संविदा सहा. प्राध्यापक नियुक्त हैं।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 2012-13 शासन का आदेश क्र. 2566/एफ 3-65/2011/ 38-1 रायपुर दिनांक 05.07.2012 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 16.10.2014					
3.	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महा. गरियाबंद	<b>M.A. Final Political Science</b>	40	2014-15	<b>निरीक्षण तिथि - 28.01.2015</b> महाविद्यालय शासकीय स्कूल में संचालित है। कक्षाएँ पर्याप्त हैं। राजनीति विज्ञान में एक अतिथि तथा नियमित व्याख्याता कार्यरत हैं। राजनीति विज्ञान में एक सहायक प्राध्यापक तथा रु. 30,000/- की स्नातकोत्तर की पुस्तकें क्रय करने की शर्त	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1983-84 शासन का आदेश क्र. 320/69/आउशि/योजना /13 दिनांक 04.07.2013 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 08.12.2014					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					पर सत्र 2014-15 से राजनीति विज्ञान में कक्षाओं खोलने की 25 सीट की अनुमति हेतु पात्रता है।	
4.	शासकीय कोदूराम दलित महावि. नवागढ़, जिला-बेमेतरा	M.A. Final - Sociology B.A. II- History B.A. -III History	20 45 45	2005-06 2005-06 2006-07	निरीक्षण तिथि -13.01.2015 विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 2252/अका./2014 दिनांक 17.12.2014 के परिपालन में M.A. समाजशास्त्र सीट-20 (2005-06) बी.ए. भाग-II इतिहास सीट 45 (2005-06) तथा बी.ए. भाग-II इतिहास सीट 45 (2006-07) के लिए विश्वविद्यालय से संबद्धता हेतु शास. कोदूराम दलित महा. नवागढ़ जिला-बेमेतरा का निरीक्षण दिनांक 13.01.2015 को किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है - 1. महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य है। 2. महाविद्यालय का स्वयं का भवन है एवं अधोसंरचना पर्याप्त है। 3. महाविद्यालय में 01 प्राचार्य एवं 06 सहा.प्राध्यापक का पद स्वीकृत है, जिसमें 2 प्राध्यापक नियमित एवं 05 अतिथि प्राध्यापकों से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। 4. ग्रंथालय में समस्त विषयों को मिलाकर 17470 पुस्तकें हैं, तीनों कक्षाओं के छात्रानुपात में पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1988-89 शासन का आदेश क्र. पृ. क्र. एफ 73-155/2003 /38 रायपुर दिनांक 04.09.2003 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 18.11.2003						
कार्यालयीन टीप :- महाविद्यालय को सत्र 2004-05 में बी.ए. इतिहास प्रथम वर्ष एम.ए. पूर्व समाजशास्त्र की सम्बद्धता प्राप्त की है। महाविद्यालय ने बी.ए. इतिहास द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (सत्र 2005-06 एवं 2006-07), एम.ए. अंतिम समाजशास्त्र (सत्र 2005-06) के लिए दिनांक 07.11.2014 को आवेदन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करने के कारण आदेशानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया।						

03. शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी-सिहावा जिला-धमतरी के एम.ए. अंतिम हिन्दी (छात्र संख्या-50) की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.04.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी-सिहावा जिला-धमतरी को सत्र 2006-07 से एम.ए. अंतिम हिन्दी के स्थान पर एम.ए. पूर्व हिन्दी हो गया था, जिसे महाविद्यालय के निवेदन पर संशोधन किया गया। संशोधन की सूचना ग्रहण की गई।

04. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर का आदेश पृ. क्र. एफ 73/48/उ.शि./2003 दिनांक 21.04.2003 शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग का नाम परिवर्तन कर *इंदिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग* किये जाने की अनुशंसा की गई।

05. श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट समिति द्वारा प्रस्तावित नवीन विधि महाविद्यालय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.07.2012 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.07.2012 के निर्णयानुसार, श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट समिति द्वारा संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 27 एवं 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किया है, अतः नया विधि महाविद्यालय (बी.ए.एल.एल.बी. एवं एल.एल.बी.) की स्थापना एवं सम्बद्धता हेतु कार्यवाही को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जावे। संबंधित महाविद्यालय को सूचना दी जावे।

06. गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर के बी.एस.सी. बायो ग्रुप एवं बी.काम. की स्थायी सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर को आगामी तीन वर्षों के लिए बी.एस.सी. (रसायन, वनस्पति शास्त्र, एवं प्राणी शास्त्र) तथा बी.काम. सभी अनिवार्य विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

अशैक्षणिक स्टाफ 2008 से कार्यरत है परंतु परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त नहीं है। अतः 3 माह के अंदर परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति किया जाय अन्यथा 1 वर्ष बाद स्थायी सम्बद्धता समाप्त किया जाएगा।

07. सत्र 2014-15 की वार्षिक सम्बद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

1	शासकीय महाविद्यालय गोबरा- नवापारा, जिला- रायपुर (2013-14)
2	शास. कमला देवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
3	शास. के.एल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुन्द
4	शास. बी.पी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग, जिला-रायपुर
5	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला-गरियाबंद (2013-14 एवं 2014-15)
6	शास. महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी
7	जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
8	पं. देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय, साजा, जिला-बेमेतरा (2013-14)

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2013-14 एवं 2014-15 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. परिनियम क्र.-14 (Honorary Degree) के प्रावधानानुसार गठित समिति द्वारा प्रो. गोवर्धन मेहता, लिली-जुबलियंट चेयर प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद को दिनांक 21 फरवरी, 2015 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामय इक्कीसवाँ दीक्षांत समारोह में परिनियम 14 के प्रावधानानुसार उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र में राष्ट्र के लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की डी.एस-सी. (विज्ञान संकाय) की मानद उपाधि प्रदान करने संबंधी अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।
02. शोध छात्रों द्वारा शोध रूपरेखा एवं शोध प्रबंध के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व Plagiarism की जांच के संबंध में सुझाव एवं अभिमत के लिए गठित समिति की अनुशंसा में आंशिक संशोधन करते हुए मान्य किया गया :-

### **Guidelines for Plagiarism Check**


1. A Plagiarism Check using either Turnitin or iThenticate software is mandatory prior to the submission of synopsis and the thesis.
  2. The following criteria of exclusion will be followed while generating the Plagiarism Report:
    - a) Quotes
    - b) Bibliography
    - c) Phrases
    - d) Small matches up to 10 words
    - e) Small similarity less than 1%
    - f) Mathematical Formula
    - g) Name of Institutions, Departments etc.
  3. If the student has published paper(s) that has/have been included in the thesis should be excluded while checking for Plagiarism.
  4. Published Paper will also be checked for plagiarism. If any part of the paper is detected under plagiarism has similarity with the text also included in the thesis will be referred as plagiarism in the thesis.
  5. The final Plagiarism report will be issued by the Library and will be forwarded to the Chairman of the DRC of the respective subject.
  6. The Plagiarism Verification Report, following its validation by the Chairman of the DRC of the respective subject, will be appended by the student in his/her thesis.
  7. The student must use following fonts while typesetting the synopsis and the thesis: (a) For English (Times New Roman/ Arial); (b) For Hindi (Kriti Dev 010/ 011).
03. शोध छात्रों द्वारा शोध सारांश अथवा शोध प्रबंध जमा करते समय कम से कम एक शोध पत्र प्रकाशन के संबंध में विचार कर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार जर्नल में शोध पत्र का प्रकाशन मान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

To enhance the quality of research, our university is in the process of redefining and revising the guidelines for "Standard Research Journals. In the recently [January 7, 2014] held meeting of Deans chaired by Kulpati, Pt.RSU following norms have been proposed for rating "Standard Journal":

1. The journal referred in the list of SCI [Science Citation Index]/SSCI [Social Science Citation Index] /A&HCI [Arts & Humanities Citation Index] of Thomson Reuters

2. National Academy Journals
3. All research journals published by Govt. of India or Govt. aided agencies
4. All subject based society journals with at least 20 years of standing with regular publications
5. List of all the research journals approved by other universities recognized UGC
6. Journal of Pt. Ravishnakar Shukla University

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्र. 2762 / अका./ वि.प.स्थायी समिति/2015

रायपुर, दिनांक: 11/02/2015

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)